अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

उपायुक्त का न्यायालय, गुमला

(-5)

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

करमु गोप
बनाम
सरकार

आदेश फलक तारीख.............से...............तक। जिला – गुमला
वाद सं0 :– 21/2019–20
वाद का प्रकार :– विविध अपील (Miscellaneous Appeal)

यह अपील वाद करमु गोप पिता–स्व0 बंघन गोप ग्राम–सरगांव थाना–चैनपुर जिला– गुमला के द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला के आदेश ज्ञापांक 51 (i) आ0 दिनांक 03.04.2019 से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय मे अपील दायर किया गया है। जिसमें उनके जन वितरण प्रणाली दूकान की अनुज्ञप्ति सं0 – 01/1997 को झारखंड लक्षित जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019 के अध्याय iv के कंड़िका –20 के भाग (i) से (xviii) तक वर्णित नियमों एवं शर्तो का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरुप भाग (xix) के आलोक में रद्द किया गया है।

अपील सुनवाई हेतु स्वीकृत करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुमला से विषयगत मामला में तथ्यात्मक प्रतिवेदन की माँग की गई। उनके कार्यालय पत्रांक – 657 (ii), आ0 दिनांक – 29.08.2019 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। तद्नुसार, अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक, गुमला द्वारा न्यायलय में नियमानुसार अपने–अपने पक्षों का प्रस्तुतीकरण किया गया।

अपीलार्थी का पक्ष

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला के द्वारा ज्ञापांक 191 बी0 (ii)/खाद्य दिनांक – 31.01.2019 के द्वारा कारण–पृच्छा की माँग की गई, जिसके अनुपालन में अपीलार्थी के द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया।

विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी का पी0 डी0 सी0 दुकान का लाईसेन्सघारी था और उसका लाईसेन्स नं0–1/97 है। वह 1997 से 14.02.2019 के बीच पी डी0 एस0 का दुकान चला रहा था। पूर्व में अपीलार्थी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। जब नक्सली आंदोलन चल रहा था उस समय भी अपीलकर्त्ता ने दुकान को सुचारु रुप से चलाया और 2019 तक उपभोक्ताओं को संतुष्ट किया और कुछ लोगों ने ईष्या से अपीलकर्त्ता के खिलाफ शिकायत किया। जिस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी , चैनपुर के निरीक्षण के दौरान दुकान के कार्डधारी से मुलाकात हुई जिसके दौरान कुछ ईष्यालुं ग्रमीण के बातों से उलझकर अधिकारी के पास शिकायत रखा। उनका कहना है कि माह दिसम्बर का अनाज वितरण किया जा चुका है जों अलग– अलग व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है और कम अनाज देने की बात ग्रामीणों ने रखा जो निराधार है। इस संबंध में ग्रामीणों से प्राप्त हस्ताक्षर युक्त आवेदन अभिलेख में एनेक्शर 3,4 एवं 6 में अंकित है में प्रतिवेदित है कि अनुज्ञप्ति घारी द्वारा माह दिसम्बर में अनाज का वितरण किया गया है तथा पी0डी0 एस0 दुकानदार से कोई शिकायात नहीं है। तथा पंचायत समिति के सदस्य भगवती उरांव के द्वारा बताया गया है कि माह दिसम्बर का अनाज मेरे सामने वितरण किया गया है जिसका प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला को समर्पित किया जिस पर उनके द्वारा विचार नहीं किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को Restore करते हुए दूकान संचालित करने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकरी, चैनपुर के ज्ञापांक 56 दिनांक 25.01.2019 द्वारा मंतव्य सहित प्रतिवेदित किया गया है कि चैनपुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम– सरगांव के श्री करमु गोप जन वितरण प्रणाली दुकानदार अनुज्ञप्ति संख्या 01/97 के दुकान के जांच के कम में जन वितरण प्रणाली दुकानदार के विरुद्व अनयिमिताएँ की गई है।

1.कार्डधारियों को माह दिसम्बर, 2018 एवं जनवरी 2019 का खाद्यान वितरण नहीं किया गया है परन्तु राशन कार्ड में प्रविष्ठि कर दी गई है।

Scanned with CamScanner

लाभुक अमनी देवी को वितरण किया गया खाद्यान की तौल करने पर 27 कि0 ग्रा0 खाद्यान पाया गया जबकि अमनी देवी के कार्ड पर सदस्यों की संख्या के हिसाब से 40 कि0 ग्रा0 राशन कार्ड में दर्ज कर दिया गया है।

3 कार्डधारियों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न वितरण करना एवं खाद्यान्न की कालाबाजारी करना।

4 अनाज वितरण में भी 05 से 10 कि0ग्रा0 अनाज कम दिया जाता हैं।

5 दुकारदार द्वारा नेट नहीं रहने का बहाना कर लाभुक से वितरण के पहले ही ई–पोस मशीन में अंगुठा का इंट्री धोखाधडी कर करा लेते है।

6 दुकानदार श्री गोंप का आवंटन 30 क्विंटल चावल का है जो प्रत्येक माह 60 बैग होता हैं माह दिसम्बर 2018 एवं जनवरी 2019 का आवंटन 60 क्विंटल अर्थात 120 बैग होना चाहिए जबकि दोनों माह का भण्डार 67 बैग खाली बोरा सहित पाया गया हैं अर्थात 53 बैग अनाज का भण्डार नही पाया गया।

7 अनुसूचित जाति जनजाति पिछडे वर्ग के लाभुकों का मासिक उत्पीडन भष्टाचार में संलिप्त रहते हुए कानून की धज्जियो उडा कर कालाबाजारी की गई है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अपने – ज्ञापांक–51(i) आ0 दिनांक–03.04.2019 के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, चैनपुर के प्रतिवेदन एवं मंतव्य से संतुष्ट होकर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किये जाने के आरोप में अनुज्ञप्ति संख्या 01/97 को रद्द किया गया है।

सहायक लोक अभियोजक, गुमला द्वारा बताया गया कि अधिसूचना के अनुसार विहित प्राधिकारी द्वारा विषयगत मामले में विधि अनुसार उचित आदेश पारित किया गया है।

अपीलार्थी के प्रस्तुत पक्ष एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला द्वारा निर्गत आदेश के सम्यक अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी द्वारा उत्तरवादी के आदेश के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में कोई ठोस तथ्यात्मक दलील प्रस्तुत नहीं कर पाये साथ ही अपीलर्थी के द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान वितरण करना एवं खाद्यान का कालाबजरी करना तथा राशन कार्ड में बिना खाद्यान दिए ही वितरण कर प्रविष्ठि कर देना, नियम के प्रतिकूल है। अतः जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला के द्वारा निर्गत आदेश को यथोचित मानते हुए अपीलार्थी के अपील को अस्वीकृत किया जाता है।

कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला को उपलब्ध करा दें।

लेखापित एवं संशोधित,

24/3/2020

उपायुक्त,
गुमला

24/3/2020

उपायुक्त,
गुमला

D.S.O. Gumla
26/5/20 25/5/20

Scanned with CamScanner